

संबंधी सुझाव दिए। एस रमेश ने कहा कि जनप्रतिनिधियों रमेश को फड़ पेंटिंग भी भेंट की।

दिनांक-14-2-16 दैनिक भास्कर पृष्ठ संख्या-2

राजस्थान आवासन मण्डल

आवासीय योजना रायला एवं गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा में पंजीकृत/अपंजीकृत आवेदकों के लिए किराया क्रय पद्धति/नगद मुगतान पद्धति पर खुली बिक्री योजना के माध्यम से निर्मित आवासों (जहाँ है जैसे है) का आवंटन

आवेदन एवं आवास आवंटन प्रारम्भ करने की तिथि 17.02.16

“पहले आओ पहले पाओ” का स्वर्णिम अवसर

आवेदन एवं आवास आवंटन करने की अंतिम तिथि 15.03.16

राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पत्ति निस्तारण अधिनियम 1970 के नियमानुसार रायला शहर जिला भीलवाड़ा में आवासन मण्डल की आवासीय योजनाओं में निम्नांकित निर्मित मकानों का खुली बिक्री योजनान्तर्गत निस्तारण किया जाना निश्चित हुआ है :-

क्र. सं.	श्रेणी	आवास सं.	सामान्य आवास का क्षेत्रफल (व.मी.)	निर्मित क्षेत्रफल (व.मी.)	सामान्य आवास की लागत	आवेदन पत्र के साथ जमा कराने योग्य राशि	
						नगद मुगतान पद्धति के प्रकरण में	किराया क्रय पद्धति के प्रकरण में
रायला योजना, जिला भीलवाड़ा							
1	EWS	4/33 = 01 Nos.	4.60 X 9.75 = 44.850	12.760	249600.00	12500.00	12954.00
2	EWS	1/29, 5/23, 32, 40, 61, 71 & 6/27 = 07 Nos.	5.25 X 11.25 = 59.063	42.220	941200.00	12500.00	12954.00
3	EWS	1/11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 27, 5/17, 28, 30, 34, 36, 41, 42, 46, 48, 49, 50, 53, 54, 58, 59, 63, 64, 68, 69, 72, 6/28, 30, 33, 34, 35, 37, 38 = 35 Nos.	5.25 X 11.25 = 59.063	42.220	949100.00	12500.00	12954.00
4	LIG	3/96, 98, 5/08, 09, 12, 13, 14, 15, 6/05, 06, 10, 13, 15, 16, 17, 24, 25, 26 = 18 Nos.	6.00 X 15.00 = 90.00	72.640	1449400.00	25700.00	26632.00
गुलाबपुरा योजना, जिला भीलवाड़ा							
1	LIG	1-D-21 & 2-B-54 = 02 Nos.	5.25 X 11.25 = 59.063	31.070	710500.00	25700.00	26632.00
2	MIG-A	3-A-4 = 01 Nos.	6.00 X 15.00 = 90.00	42.451	1154000.00	91000.00	94299.00
3	MIG-A	2-E-6, 2-E-12, 2-E-22, 3-C-5, 3-C-9 & 3-C-17 = 06 Nos.	6.00 X 15.00 = 90.00	55.880	1508800.00	91000.00	94299.00
4	MIG-A	1-E-22 & 1-E-24 = 02 Nos.	6.00 X 15.00 = 90.00	68.910	1900900.00	91000.00	94299.00

परियोजना अभियन्ता (व.)
खण्ड भीलवाड़ा मो. 9983195578
राज संवाद / सी / 15 / 5589

सम्पर्क सूत्र

आवासीय अभियन्ता, खण्ड भीलवाड़ा
सी-289-290 आर.के.कोलोनी, भीलवाड़ा
मो. 9983993853, 01482-220312

दैनिक भास्कर भीलवाड़ा

हर्षान्वितो वाजिवदस्वर्षो भवेत् समर्थश्च वराङ्गनास ॥ 30 ॥



राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-भीलवाड़ा

आवासीय योजना रायला एवं गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा में पंजीकृत/अपंजीकृत आवेदको के लिए किराया क्रय पद्धति/नगद भुगतान पद्धति पर खुली बिक्री योजना के माध्यम से निर्मित आवासों (जहाँ है जैसे है) का आवंटन

आवेदन एवं आवास आवंटन प्रारम्भ करने की तिथि 17.02.16

**“पहले आओ पहले पाओ”
का स्वर्णिम अवसर**

आवेदन एवं आवास आवंटन करने की अंतिम तिथि 15.03.16

राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पत्ति निस्तारण अधिनियम 1970 के नियमानुसार रायला शहर जिला भीलवाड़ा में आवासन मण्डल की आवासीय योजनाओं में निम्नांकित निर्मित मकानों का खुली बिक्री योजनान्तर्गत निस्तारण किया जाना निश्चित हुआ है :-

क्र. सं.	श्रेणी	आवास सं.	सामान्य आवास का क्षेत्रफल (व. मी.)	निर्मित क्षेत्रफल (व. मी.)	सामान्य आवास की लागत	आवेदन पत्र के साथ जमा कराने योग्य राशि	
						नगद भुगतान पद्धति के प्रकरण में	किराया क्रय पद्धति के प्रकरण में
रायला योजना, जिला भीलवाड़ा							
1	EWS	4/33 = 01 Nos.	4.60 X 9.75 = 44.850	12.760	249600.00	12500.00	12954.00
2	EWS	1/29, 5/23, 32, 40, 61, 71 & 6/27 = 07 Nos.	5.25 X 11.25 = 59.063	42.220	941200.00	12500.00	12954.00
3	EWS	1/11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 27, 5/17, 26, 30, 34, 36, 41, 42, 46, 48, 49, 50, 53, 54, 58, 59, 63, 64, 68, 69, 72, 6/28, 30, 33, 34, 35, 37, 38 = 35 Nos.	5.25 X 11.25 = 59.063	42.220	949100.00	12500.00	12954.00
4	LIG	3/96, 98, 5/08, 09, 12, 13, 14, 15, 6/05, 06, 10, 13, 15, 16, 17, 24, 25, 26 = 18 Nos.	6.00 X 15.00 = 90.00	72.640	1449400.00	25700.00	26632.00
गुलाबपुरा योजना, जिला भीलवाड़ा							
1	LIG	1-D-21 & 2-B-54 = 02 Nos.	5.25 X 11.25 = 59.063	31.070	710500.00	25700.00	26632.00
2	MIG-A	3-A-4 = 01 Nos.	6.00 X 15.00 = 90.00	42.451	1154000.00	91000.00	94299.00
3	MIG-A	2-E-6, 2-E-12, 2-E-22, 3-C-5, 3-C-9 & 3-C-17 = 06 Nos.	6.00 X 15.00 = 90.00	55.880	1506800.00	91000.00	94299.00
4	MIG-A	1-E-22 & 1-E-24 = 02 Nos.	6.00 X 15.00 = 90.00	68.910	1900900.00	91000.00	94299.00

(1) लागत के अतिरिक्त लीज राशि, विविध खर्च, कॉर्नर चार्ज एवं अतिरिक्त भूमि (यदि कोई हो) की राशि एवं अन्य राशियाँ बोर्ड नियमानुसार देय होगी।

(2) आवासों का आवंटन “जहाँ है जैसा है” की स्थिति पर किये जावेंगे तथा इस विषय में कोई आक्षेप स्वीकार नहीं किया जावेगा।

(3) आवासों का आवंटन प्रस्तुत आवेदन फार्म में अंकित विकल्प के क्रम में आवास की उपलब्धतानुसार किया जावेगा।

(4) इस योजना में पूर्व पंजीकृत एवं नये (अपंजीकृत) दोनों प्रकार के आवेदकों के आवेदन पत्र स्वीकार किये जावेंगे, किन्तु पंजीकृत आवेदक को वरीयता दी जायेगी।

(5) इस योजना में आवास आवंटन हेतु वरीयता का क्रम इस प्रकार रहेगा। नगद भुगतान प्रद्वति के पूर्व पंजीकृत आवेदक, नगद भुगतान प्रद्वति के नए आवेदक, किराया क्रय पद्धति के पूर्व पंजीकृत आवेदक तथा किराया क्रय पद्धति के नए आवेदक।

(6) आवास के आवंटन हेतु आवेदन फार्म मूल आवेदक के स्वयं उपस्थित होने पर ही स्वीकार किये जावेंगे।

(7) योजना में प्रस्तावित किसी भी आवास को लेकर विवाद उत्पन्न होने पर उक्त आवास के संबंध में निर्णय करने के लिए मण्डल स्वतंत्र होगा।

(8) योजना के नियम, शर्तें एवं अन्य विवरण का उल्लेख आवेदन फार्म में वर्णित है।

- (9) आवेदको को पहचान स्वरूप पहचान पत्र, पासपोर्ट, आधार कार्ड, फोटो युक्त राशन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस इत्यादि में से एक की छाया प्रति एवं पते का प्रमाण स्वरूप बिजली, पानी, टेलीफोन बिल में से एक की सत्यापित छाया प्रति आवेदन पत्र के साथ सलंगन करनी होगी।
- (10) आवेदन पत्र योजनावधि में प्रत्येक कार्यदिवस को प्रति दिन सांय चार बजे तक प्राप्त किये एवं आवास आवंटित किये जायेंगे तथा एक ही आवास हेतु एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर उसी दिन सांय 4.30 बजे लॉटरी से आवास आवंटन किया जावेगा।
- (11) पूर्व पंजीकृत आवेदको का पंजीकरण निरस्त नहीं होना चाहिए एवं पुनर्जीवित (यदि कोई हो) से संबंधित साक्ष्य तथा पूर्व पंजीकरण के अन्तर्गत जमा राशि के रिफण्ड नहीं होने अथवा पंजीकरण के अन्तर्गत कोई अन्य आवास आवंटित नहीं होने बाबत 20/- रूपयें के नोन ज्यूडिसल स्टाम्प पेपर पर नोटेरी से सत्यापित शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (12) आवंटन पश्चात निर्धारित तिथि तक राशि जमा नहीं कराने पर प्रचलित नियमानुसार कटौती करते हुए जमा राशि लौटा दी जाएगी।
- (13) सर्विस टैक्स एवं अन्य सरकारी टैक्स नियमानुसार देय होंगे वर्तमान में इस योजना में नगद भुगतान पद्धति के तहत आवंटन पर सर्विस टैक्स देय नहीं होगा।
- (14) खुली बिक्री योजना के आवेदन पत्र 100/- का नगद भुगतान जमा कर दिनांक 16.02.2016 से कार्यालय समय में खण्ड कार्यालय से कार्यालय समय में प्राप्त किये जा सकते हैं।

परियोजना अभियन्ता (व.) खण्ड भीलवाड़ा
मो. 9983195578

सम्पर्क सूत्र

आवासीय अभियन्ता, खण्ड भीलवाड़ा
सी-289-290 आर.के.कॉलोनी, भीलवाड़ा
मो. 9983993853, 01482-220312